



प्रेस विज्ञप्ति

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद महाराजगंज, दिनांक अगस्त 04, 2022

यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही एवं संदिग्धों की चेकिंग-

जनपदीय पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न स्थानों पर दो पहिया वाहनों व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी, बिना हेलमेट लगाये, बिना अनुज्ञप्ति, सवारी गाडियों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर व तेज गति से वाहन चलाते समय तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 114 वाहनों का चालान किया।

शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका व भविष्य में शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थानों से कुल- 26 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

पैदल गश्त अभियान- श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे पैदल गश्त अभियान के तहत जनपद पुलिस के सभी प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में अलग-अलग टीम बनाकर पैदल गश्त अभियान को जारी रखते हुए दुकानदारों, व्यापारियों तथा आम जनता से सम्पर्क स्थापित किया गया तथा उनकी समस्या सुनी गयी। कस्बा में स्थित चौराहों, सड़क की पटरियों, भीड़-भाड़ वाले स्थानों को अतिक्रमण मुक्त करने में पुलिस का सहयोग करने को कहा गया। जिससे चौराहों व भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर यातायात सुगम हो सके।

आबकारी अधिनियम में की गयी कार्यवाही-

थाना ठूठीबारी पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त मनोज चौहान पुत्र ओमप्रकाश नि0 बकूलडीह थाना ठूठीबारी जनपद महाराजगंज के कब्जे से 25 शीशी देशी शराब बराद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 102/22 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही करते हुए चालान मा0 न्यायालय किया गया।

थाना चौक पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त संतराज उर्फ पंजाबी पुत्र शोभा नि0 28 नर्सरी थाना चौक जनपद महाराजगंज के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 117/22 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

आर्म अधिनियम में की गई कार्यवाही

थाना निचलौल पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही अभियुक्त दीपक मोदनवाल पुत्र राकेश नि0 तिवारी बाजार थाना घुघली जनपद महाराजगंज के कब्जे से 01 अदद नाजायज चाकू बरामद कर थाना निचलौल पर मु0अ0सं0 374/22 धारा 3/25 आर्म अधिनियम में व 2. अभियुक्त हिमांशु गुप्ता पुत्र आलोक नि0 10 न. बोरिंग थाना गोरखनाथ जिला गोरखपुर के कब्जे से 01 अदद नाजायज चाकू बरामद कर थाना निचलौल पर मु0अ0सं0 375/22 धारा 4/25 आर्म अधिनियम में पंजीकृत कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गुण्डा अधिनियम में की गयी कार्यवाही-

थाना श्यामदेउरवा पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त मो0 जैश पुत्र मोहिबुद्दीन नि0 बडहरा बरईपार थाना श्यामदेउरवा जनपद महाराजगंज के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 निल/22 धारा 3/4 गुण्डा अधिनियम में पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

थाना बरगदवा पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त 1.कमलनाथ पुत्र झकरी नि0 हरकपुरा जनपद महराजगंज व 2. अभियुक्त राकेश यादव पुत्र गोरख नि0 अमहवा जनपद महराजगंज के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 निल/22 धारा 3/4 गुण्डा अधिनियम में पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी ।

कस्टम अधिनियम में की गयी कार्यवाही-

थाना सोनौली पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त अब्दुल कादिर शेख पुत्र फैजुल अहमद नि0 कजरहिया वार्ड न0 4 थाना रूपनदेही जिला रीपनदेही राष्ट्र नेपाल के कब्जे से 01 मोटरसाईकिल पर लदा 01 बोरी यूरिया खाद व 03 अदद लावारीश साईकिल पर 04 बोरी यूरिया खाद बरामद कर थाना सोनौली पर मु0अ0सं0 निल/22 धारा 111 कस्टम अधिनियम में पंजीकृत कर चालान मा0 न्यायालय किया गया ।

विवेचनाओं का निस्तारण- पुलिस अधीक्षक महराजगंज द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा गुण-दोष के आधार पर विवेचना की कार्यवाही करते हुए कुल- 07 विवेचनाओं का निस्तारण किया गया ।

जनपद में 03/04.08.2022 को विभिन्न अपराधों में कुल- 30 अभियुक्तों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गयी ।